संख्या–827 / xvl / 07 / 7(36) / 07

प्रेषक,

अर्जुन सिंह,
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण
उद्यान भवन, चौबटिया, रानीखेत।

उद्यान एवं रेशम अनुभागः–1 देहरादूनः दिनांक 30 अगस्त,2007

विषयः–वित्तीय वर्ष 2007–08 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–30 के आयोजनागत पक्ष में राज्य सैक्टर की योजनाओं के कियान्वयन हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–343 / 1–1(102) / 2007–08,दिनांक 07 अगस्त, 2007 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–30 के आयोजनागत पक्ष में राज्य सैक्टर के अन्तर्गत चालू योजनाओं के कियान्वयन हेतु प्राविधानित धनराशि रू0–3,20,35.00 हजार (रूपये तीन करोड़ बीस लाख पैतीस हजार मात्र) में लेखानुदान द्वारा अवमुक्त धनराशि रू0–57.31 लाख को समायोजित करते हुए अवशेष बजट प्राविधान रू0–2,63,04.00 हजार (रूपये दो करोड़ तिरेसठ लाख चार हजार मात्र) की धनराशि **संलग्न विवरणानुसार** व्यय हेतु आपके निर्वतन / आवंटन में रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल महोदय निम्नांकित शर्तानुसार सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1– इस धनराशि का व्यय केवल चालू कार्यो के लिये ही किया जायेगा।

2– उक्त व्यय करते समय वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–599/XXVII (1)/2007, दिनांक–12 जुलाई, 2007 **(छाया प्रति संलग्न)** में दिये गये दिशा–निर्देशों तथा शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों / निर्देशों एवं बजट मैनुअल के सुसगत नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

3– किसी भी शासकीय व्यय हेतु भण्डार क्रय प्रक्रिया (स्टोर्स पर्चेस रूल्स) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिष्पादन नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 आय व्यय सम्बन्धी नियम शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4– अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग त्रैमास के आधार पर शासन को उपलब्ध करायी जाय, जिससे राज्य स्तर पर कैशफ्लों निर्धारित किए जाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो।

5– निर्माण कार्य पर व्यय करने से पूर्व प्रत्येक के आगणन / पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासनिक तथा वित्तीय अनुमोदन के साथ–साथ आगणनों पर सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय।

6– व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय तथा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

7– व्यय केवल उन्हीं मदों में किया जाय, जिनके लिए यह स्वीकृति निर्गत की जा रही है, साथ ही किसी भी प्रकार के मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं रहेगा।

8– व्यय की सूचना प्रपत्र बी0एम0–13 पर प्रत्येक माह की 20 तारीख तक वित्त विभाग को

....2/

अवश्य उपलब्ध कराई जाय तथा धनराशि का आहरण/व्यय एकमुश्त न करके आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

9– चाय विकास परियोजना हेतु स्वीकृत धनराशि निदेशक, उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड, अल्मोड़ा को, नियमानुसार उपलब्ध करायी जायेगी।

10– यह सुनिश्चित कर लिया जाय,कि अनुसूचित जाति क्षेत्र उपयोजना (एस0सी0एस0पी0) हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों/ग्रामों में अथवा अनुसूचित जाति के लाभार्थियों हेतु ही किया जाय।

11– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 में अनुदान संख्या–30 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2401–फसल कृषि कर्म–00–आयोजनागत–119–बागवानी और सब्जियों की फसलें–02–अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत **संलग्न विवरण** में अंकित सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नाम डाला जायेगा।

12– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–145(P)/वित्त अनु0–4/2007, दिनांक–29 अगस्त,2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(अर्जुन सिंह)
अपर सचिव।

संख्या–827/xvl/07/7(36)/07/तददिनांकः

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिग माजरा, देहरादून।
2– वित्त अनुभाग–4/समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
3– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4– निदेशक, उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड, अल्मोड़ा।
5– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड।
6– राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
7– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
8– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुनील श्री पांथरी)
उप सचिव।

शासनादेश संख्या–827/XVI/07/7(37)/07, दिनांक–30 अगस्त, 2007 का संलग्नक

वित्तीय वर्ष 2007–08 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–30 के आयोजनागत पक्ष में राज्य सैक्टर की चालू योजनाओं के कियान्वयन हेतु स्वीकृत की जाने वाली धनराशि का विवरणः–

(धनराशि हजार रूपयें में)

क0 सं0	लेखाशीर्षक/योजना का नाम/मद	आय–व्ययक प्राविधान वर्ष 2007–08	लेखानुदान द्वारा अवमुक्त धनराशि	स्वीकृत की जा रही धनराशि
1	2	3	4	5
	अनुदान सं0–30 लेखाशीर्षक–2401–फसल कृषि कर्म–00–आयोजनागत–119–बागवानी और सब्जियों की फसलें–02–अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान			
1–	03–चाय विकास परियोजना			
	20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता	22325	4415	17910
	योग–03	22325	4415	17910
2–	08–मधुमक्खी पालन की योजना			
	20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता	1375	33	1342
	21–छात्रवृत्ति और छात्रवेतन	91	..	91
	योग–08	1466	33	1433
3–	10–सघन एवं बेमौसमी सब्जी उत्पादन का विकास			
	31–सामग्री और सम्पूर्ति	8244	1283	6961
	योग–10	8244	1283	6961
	कुल योग (राज्य सैक्टर)–	32035	5731	26304

(रूपये दो करोड़ तिरेसठ लाख चार हजार मात्र)

(अर्जुन सिंह)
अपर सचिव।